न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 5/2018

धर्मवीर पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. राजेश पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 21.12.2015

उपस्थितिः–

श्री अजीत कुमार अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता
श्री आर.आर.ओझा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांक 19.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 16.06.92 को राजेश पुत्र मन्शाराम को चक भोमपुरा के मु.नं. 145 में 24.08 बीघा व मु.नं. 92 में 17.10. बीघा कुल 41.18 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरुद्ध नायब तहसीलदार मुकलावा ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष नजरसानी प्रा.पत्र पेश किया जो दिनांक 09.08.2007 को स्वीकार कर विवादित भूमि की वर्तमान राशि नियमानुसार वसूल करने के आदेश दिये। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलांट धर्मवीर व राजेश कुमार ने इस न्यायालय में दो अपीलें अपील सं. 265/2007 धर्मवीर बनाम स्टेट , अपील सं 282/2007 राजेश कुमार बनाम सरकार पेश हुई जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2008 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड

19/6/18

होने पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 09.08.2007 को यथावत रखने के आदेश दिये एवं राशि वर्तमान दर से वसूल करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 09.08.2007 के विरूद्ध अपीलांट ने भी अपील पेश की थी एवं प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। किन्तु अधी. न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए रेस्पों. के नाम से आवंटन बहाल कर दिया। जबकि अपीलांट भी आवंटन की पात्रता रखता है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. को पुख्ता आवंटन हुई थी जिसके विरूद्ध नजरसानी प्रा.पत्र पेश होने पर नजरसानी प्रा.पत्र स्वीकार कर वर्तमान दर से राशि जमा कराने के आदेश दिये गये हैं जिसके विरूद्ध अपीलांट व रेस्पों. ने इस न्यायालय में अपीलें पेश की। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड प्रकरण में अधी. न्यायालय ने रेस्पों. के आवंटन को बहाल करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है एवं अपील मियाद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12/6/18

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2008 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। उक्त रिमाण्ड आदेश में अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया और न ही सुना गया। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 21.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 15.01.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्यत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.12.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें विवादित भूमि रेस्पों. को अस्थाई काश्त से पुख्ता आवंटन के रूप में आवंटन की गई है जबकि भूमि रेस्पों. के बजाए अपीलांट के पिता के नाम अस्थाई काश्त के रूप में रही है। अतः अधी. न्यायालय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 09.08.2007 को यथावत रखते हुए निर्णय पारित किया है कि आवंटी राजेश पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर को पूर्व में आवंटित भूमि वाके चक भोमपुरा का मु. नं. 145 के कि.नं. 1 से 25 की 24.08 बीघा व मु.नं. 92 के कि.नं. 7/0.06 , 8 से 14/7.00 , 15/0.18, 16/0.10, 17 से 20/4.00 की 17.10 बीघा कुल 41.18 बीघा अनकमाण्ड भूमि वर्तमान आरक्षित दर से राशि वसूल की जावे। सम्वत् 2042 से 2047 टी.सी. पर रकबा पिता के नाम 1956 से है। अतः अपीलांट एवं रेस्पों. दोनों सगे भाई होकर पिता के नाम की टी.सी. का पुख्ता आवंटन अकेले रेस्पों. के नाम उचित नहीं माना जा सकता। अतः विवादित भूमि रेस्पों एवं अपीलांट के मध्य

19/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बराबर पुख्ता आवंटन योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर